

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या: — /XXVIII-3-2021-28/2019
देहरादून दिनांक: ०८ जुलाई, 2021
संशोधित अधिसूचना/शुद्धि पत्र

अधिसूचना संख्या-1028/XXVIII-3-2019-28/2019 दिनांक 31.12.2019 को निम्नवत् पढ़ा जाये :-

“राज्यपाल, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 73 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों के लिए निम्नवत् तालिका के कॉलम-3 में निर्दिष्ट स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्डों (Mental Health Review Boards) का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

बोर्ड न०	जिला	बोर्ड का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	हरिद्वार	हरिद्वार
2	देहरादून	देहरादून
3.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर
4.	टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी	न्यू टिहरी
5.	पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली	श्रीनगर
6.	नैनीताल एवं अल्मोड़ा	नैनीताल
7.	बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत	पिथौरागढ़

2. उपरोक्त के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून विभिन्न जिलों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्डों को गठित करने की अग्रतः कार्यवाही सुनिश्चित करें।”

उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-778 (1)/XXVIII-3-2021-28/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. स्टॉफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
9. महानिदेशक/निदेशक, चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रुड़की।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जसविन्दर कौर
(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।